सिपडा

1. **उद्देश्य**

   दिव्यांगजनों को बाधामुक्त परिसर उपलब्ध कराना है, जिससे महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों, सावर्जनिक परिवहन, सरकार के बेवसाइट इत्यादि को सुगम्य बनाना है।

2. **निधि का संवितरण**

   इसके अन्तर्गत संचालित सभी योजनाओं के लिए शत प्रतिशत राशि का प्रावधान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

3. **देय राशि**

   इस योजना के अंतर्गत देय राशि का दर योजना एवं लाभार्थी विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।

4. **पात्रता**

   सभी दिव्यांगजन।

5. **प्रक्रिया**

   केन्द्र एवं राज्य स्तर से प्रस्ताव की स्वीकृति के आलोक में अन्य विभागो से समन्वय के उपरान्त आवश्यकतानुसार राशि का आवंटन किया जाता है।

6. **उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया**

   निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार को भेजा जाता है।

7. **अनुश्रवण की प्रक्रिया**

   इस योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर सहायक निदेशक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार होते है तथा प्रत्येक माह प्रगति प्रतिवेदन निदेशालय को भेजते है। विशेष परिस्थिति में निदेशालय स्तर से जॉच दल का गठन कर निगरानी एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है।

8. **शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स**

   अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहॉ इस योजना अंतर्गत सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। साथ ही राज्य स्तर पर निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग एवं राज्य आयुक्त नि:शक्तता का कार्यालय कार्यरत है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार जहाँ दिव्यांगजन सीधे परिवाद दायर कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।